उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति

पुरूषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरूषों के लिए प्लाटून कमाण्डर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती-2020-21

संख्याःपीआरपीबी- दो-2(3 वि0)/2020 **दिनांकः फरवरी , 2021**

1.1- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रेषित अधियाचन पत्र सं0: डीजी-चार-106(100)2018(सी0भ0), दिनांकितः 05/08/2020, पत्र सं0: डीजी-चार-121(10)2016-19(सी0भ0), दिनांकितः 11/01/2021 तथा पत्र सं0: दस-510/19, दिनांकितः 05/02/2021 के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस में **उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर, पीएसी एवं अग्निशमान द्वितीय अधिकारी, वेतनमान-पे बैण्ड-9300-34800 व ग्रेड पे-4200 के क्रमशः 9027, 484 एवं 23 अर्थात कुल-9534 रिक्त पदों**,जिनके श्रेणीवार विवरण निम्नवत है, को भरने के लिए पुरुष/महिला अभ्यर्थियों से (महिला अभ्यर्थी केवल उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद हेतु) ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

(क) उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणी वार विवरण

क्र0सं0	श्रेणी	संख्या
1	अनारक्षित	3613
2	ई0डब्लू0एस0 (10%)	902
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)	2437
4	अनुसूचित जाति (21%)	1895
5	अनुसूचित जनजाति (2%)	180
योग		**9027**

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष क्षैतिज (HORIZONTAL) आरक्षण का प्रतिशत-

क्र0 सं0	समूह	आरक्षण का प्रतिशत	अद्यावधिक शासनादेश व दिनांक	पदों की संख्या
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	2%	शासनादेश संख्या:18/1/95- का0-2/95, दिनांक:10.05.1995	180
2	भूतपूर्व सैनिक	5%	शासनादेश संख्या:18/1/95- का-2/टीसी-1999, दिनांक:09.09.1999	451
3	महिला	20%	शासनादेश संख्या:18/1/99/का-2/1999, दि0:26.02.1999 शासनादेश संख्या:18/1/99/का-2/1999, दिनांक:30.08.1999	1805

			शासनादेश संख्या:18/1/99/का-2/2006, दिनांक:09.01.2007 शासनादेश संख्या:39रिट/का-2/2019, दिनांक : 26/06/ 2019 **एवं** मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका(सिविल) सं0 23223/2018 सौरव यादव एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मे विचारित प्रकीर्ण प्रार्थना-पत्र सं0 2641/2019 तथा रिट याचिका(सी) सं0 237/2020 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार क्षैतिज आरक्षण लागू किया जायेगा।	

(ख) प्लाटून कमाण्डर, पीएसी

क्र0सं0	**श्रेणी**	**संख्या**
1	अनारक्षित	194
2	ई0डब्लू0एस0 (10%)	48
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	131
4	अनुसूचित जाति	101
5	अनुसूचित जनजाति	10
	योग	**484**

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उक्त पदों के सापेक्ष क्षैतिज (HORIZONTAL) आरक्षण का प्रतिशत-

क्र0 सं0	**समूह**	**आरक्षण का प्रतिशत**	**अद्यावधिक शासनादेश व दिनांक**	**पदों की संख्या**
1	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	2%	शासनादेश संख्या:1485/17-वि-1-(क)-23- 1999, दिनांक:28.07.1999	10
2	भूतपूर्व सैनिक	5%	शासनादेश संख्या:18/1/95- का-2/टीसी-1999, दिनांक:09.09.1999	24

(ग)अग्निशमन द्वितीय अधिकारी

क्र0सं0	**श्रेणी**	**संख्या**
1	अनारक्षित	10
2	ई0डब्लू0एस0 (10%)	2
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	6
4	अनुसूचित जाति	5
5	अनुसूचित जनजाति	0
	योग	**23**

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उक्त पदों के सापेक्ष क्षैतिज (HORIZONTAL) आरक्षण का प्रतिशत-

क्र0 सं0	समूह	आरक्षण का प्रतिशत	अद्यावधिक शासनादेश व दिनांक	पदों की संख्या
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	2%	शासनादेश संख्या:18/1/95- का0-2/95, दिनांक:10.05.1995	00
2	भूतपूर्व सैनिक	5%	शासनादेश संख्या:18/1/95- का-2/टीसी-1999, दिनांक:09.09.1999	01

1.2- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 02 प्रतिशत तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये 05 प्रतिशत तथा महिला अभ्यर्थियों को 20 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों / अद्यतन शासनादेश उ0प्र0 शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के आदेश सं0 39रिट/का-2/2019, दिनांक:26/06/2019 में दी गयी व्यवस्था एवं **इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका(सिविल) सं0 23223/2018 सौरव यादव एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मे विचारित प्रकीर्ण प्रार्थना-पत्र सं0 2641/2019 तथा रिट याचिका(सी) सं0 237/2020 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार क्षैतिज आरक्षण लागू किया जायेगा।** महिलायें केवल उपनिरीक्षक, ना0पु0 के पद हेतु ही आवेदन कर सकती हैं ।

1.3- प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

1.4- उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर चयन अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यीकृत अंको के श्रेष्ठताक्रम एवं उसके आवेदन पत्र में अंकित प्रथम, द्वितीय, तृतीय वरीयता क्रम (Order of Preference) के आधार पर किया जायेगा।

2.1- ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी-

क्र0 सं0	विवरण	तिथि
1	आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	01-04-2021
2	आवेदन शुल्क जमा करने एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की अन्तिम तिथि	30-04-2021 रात्रि 12 बजे तक

2.2- आवेदन शुल्क

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क रू0-400/-(रूपये चार सौ मात्र) निर्धारित किया गया है।

3- अर्हतायें:-

3.1-राष्ट्रीयता

भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यॉमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिकऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी ख) के से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

<u>टिप्पणीः-</u>ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

3.2-शैक्षिक अर्हताः-

(क)-उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी पद के लिए

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(ख)- अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

टिप्पणीः-

(1) आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण-पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहियें। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए **(appeared)** अथवा सम्मिलित होने वाले **(appearing)** अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

(2) **आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।**

3.3-अधिमानी अर्हतायें:-

अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर **4.4**- के अधीन वरीयता प्रदान की जायेगीः-

(1)डीओईएसीसी (DOEACC)/नाइलिट (NIELIT) सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, **या**

(2)प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(3)राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

3.4 आयुः-

भर्ती के लिए यह आवश्यक है किः-

अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दि0 01.07.1993 से पूर्व तथा दि0 01.07.2000 के पश्चात् न हुआ हो ।

परन्तु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाये।

3.5 चरित्र

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगें।

टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

3.6-वैवाहिक प्रास्थिति-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष/महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां/पति जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

3.7-शारीरिक स्वस्थता

किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाये। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

4-भर्ती की प्रक्रिया-

यह चयन 'उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (यथा संशोधित) नियमावली-2015', सप्तम संशोधन 2020 के अधीन किया जायेगा। सप्तम संशोधन 2020 सेवा नियमावली संलग्न है।

4.1ऑनलाइन लिखित परीक्षा

'उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा(यथा संशोधित) नियमावली-2015' सप्तम संशोधन 2020 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जायेंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का, चार अलग-अलग निम्नलिखित विषयों का एक प्रश्न-पत्र होगाः-

क्र0सं0	विषय	अधिकतम अंक
1	सामान्य हिन्दी	100 अंक
2	मूलविधि/संविधान/सामान्य ज्ञान	100 अंक
3	संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक
4	मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/ तार्किक परीक्षा	100 अंक

(i) ऑनलाइन लिखित परीक्षा 02 घण्टे (120 मिनट) की होगी।

(ii) अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित करायी जायेगी। प्रत्येक पालियों के प्रश्नपत्र अलग-अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित किये जाने पर अभ्यर्थी के प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण किया जायेगा। प्रसामान्यीकरण (Normalization) में Equi-Percentile Method लागू किया जायेगा।

(iii) सेवा नियमावली में सप्तम् संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत अंक और कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहां कहीं इस नियम में शब्द 'अंक' आया हो उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत अंक होगा अर्थात् ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण करने के पश्चात् जिन अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत प्राप्तांक प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत तथा चारों विषयों में कुल 50 प्रतिशत नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह/पात्र नहीं होंगे ।

(iv) संशोधित नियमावली के अनुसार भर्ती बोर्ड, प्रश्नपत्र के चार विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथमत: प्रसामान्यीकरण करेगा और अंतिम कुल प्रसामान्यीकृत अंकों की गणना समस्त चारों विषयों के प्रसामान्यीकृत अंकों को जोडकर की जायेगी।

(v) ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 पर है। ऑनलाइन परीक्षा के उपरान्त बोर्ड द्वारा आमन्त्रित किये जाने पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।

(vi) प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जायेगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं0 2669(एम0बी0)/2009 पवन कुमार अग्रहरि बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4.2<u>अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा</u>

प्रस्तर-4.1 में वर्णित ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के **प्रसामान्यीकृत** प्रामांकों की श्रेष्ठता के आधार पर उनसे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रक्रति की होगी। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जायेगी।

<u>शारीरिक मानक परीक्षण के मानक</u>

<u>पुरूषों हेतु</u>

(क) ऊँचाई:

(एक) सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गो और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर है।

(ख) सीना:

सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

<u>टिप्पणी:</u>-न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

महिलाओं हेतु

(क) ऊँचाई:

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो और अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है।

(ख) वजन:

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे। कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जायेंगे उन्हें भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित करते हुए अगले चरण में सम्मिलित नहीं किया जायेगा एवं तदोपरान्त किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा को कराये जाने की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

4.3 शारीरिक दक्षता परीक्षा

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरूष अभ्यर्थी को 4.8 कि0मी0 की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थी को 2.4 कि0मी0 की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

टिप्पणी:-

(1) लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथासमय अधिसूचित की जायेगी।

(2) लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश-पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट http://pbpb.gov.in पर उपलब्ध होंगे जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।

4.4 चयन तथा अन्तिम श्रेष्ठता सूची

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्रस्तर 4.1 के अधीन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यीकृत अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार कर उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित की जायेगी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते है तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चिय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:-

(1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी प्रस्तर 3.3 में दिये गये अधिमानी अर्हता के क्रम के अनुसार कोई अधिमानी अर्हता रखते हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(2) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(3) यदि उपरिलिखित के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।

4.5 चिकित्सा परीक्षा

चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् द्वारा चिकित्सा मैनुअल व 'पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र' के अनुसार की जायेगी। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

5-आरक्षण व आयु सीमा में छूट

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य) के लिये आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैं:

5.1- लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण

क्र0 सं0	श्रेणी	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	21	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट /परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी
2	अनुसूचित जनजाति	02	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-1	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10	-	1- स्वयं घोषणापत्र प्रारूप- 5	स्वहस्ताक्षरित
				2-आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाणपत्र प्रारूप-6	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

5.2- क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण

क्र0 सं0	समूह	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	02	—	आश्रित प्रमाण पत्र प्रारूप-3	जिलाधिकारी
2	भूतपूर्व सैनिक	05	03 वर्ष*	यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी
3	महिला	20	—		

*भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.3-राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्याः 2-ईःएमः/2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र प्रारूप-4 के अनुरुप निर्गत होना चाहिये।

5.4- शासन के पत्र संख्या-17/6-पु0-10-2016-27(3)/2016 दिनांक 18 जनवरी, 2016 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा मे छूट दी जायेगी, जिसमें उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट की अनुमन्यता है।

टिप्पणी

(1) गोद लिये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी सन्तान स्वरूप हो जाता है। अतः यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति किसी सवर्ण बच्चे को नियमानुसार गोद लेता है तो उस बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा।

(2) उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-13/22/16/92/ टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 में निर्धारित उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का **प्रारूप-1**, उत्तर-प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का **प्रारूप-2** तथा शासनादेश संख्या-5/2015/18/1/2008-का-2/2015 दिनांक 21 अप्रैल, 2015 में निर्धारित उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र का आलेख **प्रारूप-3** पर है।

(3) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (समय-समय पर यथा संशोधित) की अनुसूची-दो के अनुसार **क्रीमीलेयर** के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। **अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-1) <u>01 अप्रैल, 2020</u> या उसके बाद का हो परन्तु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए (अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30-04-2021 को आवेदन करने की स्थिति में जाति प्रमाण- पत्र दिनांकः 30-04-2021 तक निर्गत होना चाहिये)।**

(4) अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप'-1 / निर्धारित अवधि का प्रमाण् पत्र प्रस्तुत न किये जाने अथवा भारत सरकार की सेवाओं हेतु मान्य अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसको अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में व्यवहृत किया जायेगा।

(5) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी होने का स्वयं घोषणापत्र निर्धारित प्रारूप-5 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप- 6 के अनुसार हो तथा प्रमाण पत्र प्रारूप-6 दिनांक: 01 अप्रैल, 2020 या उसके बाद का हो परन्तु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए (अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30-04-2021 को आवेदन करने की स्थिति में प्रमाण- पत्र दिनांक: 30-04-2021 तक निर्गत होना चाहिये) ।

(6) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें तथा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने से पूर्व प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे प्रस्तुत करें।

(7) लम्बवत/क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने सम्बन्धी निवास प्रमाण-पत्र (डोमीसाइल सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जाति प्रमाण-पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।

(8) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा।

(9) आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में संबंधित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर यह अवधारणा की जायेगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है एवं तदनुसार यह दावेदारी निरस्त कर, यदि अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की समस्त पात्रताओं को पूर्ण करता हो तो, उसे अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस संबंध में किसी संशोधन/परिवर्तन हेतु पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

(10) जो अभ्यर्थी केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत है, **उन्हें आवेदन करने से पूर्व अपने सेवायोजक से निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' (नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट) प्राप्त करना अनिवार्य** होगा एवं जब उनसे अपेक्षा की जायेगी उसे प्रस्तुत **करना** होगा।

(11) ऐसे पुरूष अभ्यर्थी जो उ0प्र0 का मूल निवास प्रमाण पत्र **प्रस्तुत** करने में असफल रहते हैं उन्हें **अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी मानते हुए विचार किया जायेगा, ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी के अन्र्तगत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा तथा उनके द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यीकृत अंक अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से कम होने की दशा में उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।**

(12) अभिलेखों की संवीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षण के समय अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलायें यदि उ0प्र0 का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहती हैं तो उन्हें महिला वर्ग के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा और यदि उनके प्रसामान्यीकृत प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ या उससे अधिक है, तभी उन्हें चयन प्रक्रिया के अगले चरण में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी ।

6- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथा अपेक्षित निम्नलिखित अभिलेख होने अनिवार्य है जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड/अटैच किये जायेंगे: -

क- शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी अभिलेख-

स्नातक उपाधि अंक पत्र/प्रमाण पत्र

ख- अधिमानी अर्हता सम्बन्धी अभिलेख (यदि कोई हो तो)-

(1)- डोएक (DOEACC)/नाइलिट (NIELIT) सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ'लेवल का प्रमाण-पत्र या

(2)- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र या

(3)- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र।

ग- आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे सम्बन्धी अभिलेख(यदि लागू हो)-

(1)- मूल निवास प्रमाण पत्र (आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से पूर्व निर्गत)

(2)- अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित **प्रारूप-1** पर (01 अप्रैल, 2020 या उसके बाद का **हो परन्तु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक अर्थात् आवेदन की अन्तिम तिथि 30-04-2021 को आवेदन करने की स्थिति में तक दि0 30-04-2021 तक** निर्गत होना चाहिए।

(3)- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित **प्रारूप-2** पर।

(4)- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र निर्धारित **प्रारूप-3** पर निर्गत होना चाहिए।

(5)-भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/सेवामुक्ति प्रमाण पत्र, यूनिट के कमाण्डेन्ट द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट'।

(6)- आयु में छूट चाहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र निर्धारित **प्रारूप-4** पर होना चाहिए।

(7)- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी का स्वयं घोषणापत्र निर्धारित प्रारूप-5 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय एवं **परिसम्पत्ति प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप- 6 के अनुसार हो तथा प्रमाण-पत्र प्रारूप्-6 दिनांक: 01 अप्रैल, 2020 या उसके बाद का हो परन्तु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए (अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30-04-2021 को आवेदन करने की स्थिति में प्रमाण-पत्र दिनांक: 30-04-2021** तक निर्गत **होना चाहिये)।**

घ- फार्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी की नवीनतम और आवक्ष तक रंगीन फोटो और हस्ताक्षर।

7-ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

7.1- आवेदन करने हेतु 'ऑनलाइन आवेदन पद्धति' लागू है।

7.2- ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी अपनी अर्हता सम्बन्धी समस्त प्रमाण-पत्र/ अंकतालिका की स्कैन कॉपी अपलोड/अटैच करेंगे तथा सही प्रमाण-पत्र संख्या, अनुक्रमांक तथा प्राप्तांक आदि का विवरण भरना आवश्यक होगा।

7.3- 'ऑनलाइन आवेदन पत्र' भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

(1) बोर्ड की वेबसाइट **http://pbpb.gov.in** पर जायें।

(2) ऑनलाइन आवेदन को भरे जाने हेतु वेबसाइट पर दिये गये विस्तृत निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तद्नुसार आवेदन करें।

(3) बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन विज्ञापन के सम्मुख 'Candidate's Registration' को 'क्लिक' करने पर आवेदन का एक प्रारूप स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी वांछित सूचनायें भरेंगे।

(4) ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन चरणों में किया जायेगाः-

(i) प्रथम चरण-पंजीकरण

अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित 'Candidate's Registration' को क्लिक करने पर प्राप्त फार्म में सूचनायें भरकर पंजीकरण करें तथा 'Registration Slip'

प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रख लें। ध्यान रखें कि अगले चरण में रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं पासवर्ड अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर सही-सही प्रविष्ट करना होगा।

(ii) द्वितीय चरण- शैक्षिक/ अधिमानी अर्हता सम्बन्धी जानकारी भरना

अभ्यर्थियों को प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड से लॉगिन करके फॉर्म में मांगी गयी समस्त जानकरी बिना त्रुटि भरनी होगी। समस्त जानकरी भरने के उपरांत अभ्यर्थी अपनी नवीनतम रंगीन फोटो, हस्ताक्षर, अधिमानी अर्हता, अभिलेखों की स्कैन कॉपी, आरक्षण हेतु सीमा में छूट के दावे सम्बन्धी अभिलेख/अभिलेखों की स्कैन कॉपी अपलोड एवं सभी घोषणाओं को भलीभांति पढ़कर सबमिट करना अनिवार्य होगा।

अभ्यर्थी यह भी ध्यान दे की अपलोड की गयी स्कैन कॉपी तथा दी गयी सूचना फीस पेमेंट करने से पूर्व भली भांति पुन: जांच ले। आवेदन सबमिट (Submit) करने से पूर्व यदि अभ्यर्थी को किसी सूचना अथवा स्कैन कॉपी को संशोधित (Edit) करना है तो हर सेक्शन के आगे दिए गए एडिट बटन को क्लिक करके संशोधित कर सकते है | अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सारी जानकरी /अभिलेख अभ्यर्थी के लॉगिन में save रहेंगे तथा Fees Payment की तरफ बढ़ने से पहले सुनिश्चित कर ले कि दी गयी जानकारी सही है अन्यथा आवेदन सबमिट होने के पश्चात् किसी भी प्रकार के सुधार / संशोधन का अवसर नहीं दिया जायेगा। Fees Payment के successful होने के पश्चात ही अभ्यर्थी का आवेदन पूर्ण माना जाएगा एवं अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म तथा फीस रसीद को प्रिंट कर सकता है।

(iii) तृतीय चरण -शुल्क का भुगतान

अभ्यर्थी ई-चालान, इण्टरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल कर सकता है। यदि ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना हो तो अभ्यर्थी भारतीय स्टेट बैंक का ई-चालान प्रिन्ट कर लें। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी को एक ट्रान्जेक्शन आईडी प्राप्त होगी जिसका उपयोग कर अभ्यर्थी फार्म का तीसरा भाग तत्काल भर सकता है। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाता है तो वह शुल्क जमा करने की निर्धारित अवधि में उसका भुगतान कर सकता है।

7.4- अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो व हस्ताक्षर आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष तक होनी चाहिए। सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए।

अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिएः-

1- चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/छाया नहीं होनी चाहिए।
2- नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।
3- कंधें साफ दिखने चाहिए।
4- सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।
5- ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो तथा लगभग 70 प्रतिशत भाग आच्छादित करता हो।
6- तटस्थ अभिव्यक्ति (मुंह बन्द, ऑखें खुली)।
7- चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हुए।
8- कैमरे पर सीधी नजर हो।
9- चश्मा पहनने की स्थिति में ऑखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए।
10- फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए।

यदि उपरोक्तानुसार फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र को ऑनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा।

7.5- एक बार आवेदन **'Submit'** करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

7.6- ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने हेतु विस्तृत निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय उपलब्ध रहेंगे।

7.7- आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:-

(1) जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में हैं उन्हें आवेदन करने से पूर्व अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' (नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

8-अन्य

1- विज्ञापित पदों पर की जा रही यह भर्ती अस्थायी है।

2- अभ्यर्थी दिवालिया न हो तथा किसी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित न हुआ हो।

3- किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लम्बित होने, दोषसिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा बोर्ड की परीक्षाओं एव चयनों से प्रतिवारित **(Debar)** करने का अधिकार बोर्ड को होगा।

4- अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा। बोर्ड केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

5- यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है अथवा उसने गलत/झूठी सूचना/ सर्टिफिकेट/अभिलेख प्रस्तुत किये हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाये हैं, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। यदि इस प्रकार की कोई कमी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात प्रकाश में आती है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

6- इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

7- यह विज्ञप्ति संगत सेवा नियमावली, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार जारी की जा रही है। किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभाष की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।

9-बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

24.2.21

अपर सचिव (भर्ती)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

परिशिष्ट-1

ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

क्र0सं0	विषय	अधिकतम अंक
1	सामान्य हिन्दी	100 अंक
2	मूलविधि/संविधान/सामान्य ज्ञान	100 अंक
3	संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक
4	मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा	100 अंक
पूर्णांक		400 अंक

1-सामान्य हिन्दी

1-हिन्दी और अन्य भारतीय भाषायें, 2-हिन्दी व्याकरण का मौलिक ज्ञान- हिन्दी वर्णमाला, तद्भव-तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास, विराम-चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छन्द, अलंकार आदि, 3-अपठित बोध, 4-प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनायें, 5-हिन्दी भाषा में पुरस्कार, 6-विविध।

2- मूलविधि/संविधान/सामान्य ज्ञान

क-मूलविधि- भारतीय दण्ड विधान एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने सम्बन्धी विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू-राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान।

ख-संविधान- संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केन्द्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवायें एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी।

ग-सामान्य ज्ञान- सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफ0डी0आई0 (फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट), विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उ0प्र0 की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी, उ0प्र0 में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्ध, कम्प्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक/आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन।

3- संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा

क-संख्यात्मक योग्यता परीक्षा-Number System-संख्या पद्धति,Simplification- सरलीकरण, Decimals and Fraction-दशमलव और भिन्न, Highest common factor and lowest common multiple-महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, Ratio and Proportion-अनुपात और समानुपात, Percentage-प्रतिशतता, Profit and Loss-लाभ और हानि, Discount-छूट,Simple interest-साधारण ब्याज, Compound interest-चक्रवृद्धि ब्याज, Partnership-भागीदारी, Average-औसत, Time and Work-समय और कार्य, Time and Distance-समय और दूरी, Use of Tables and Graphs-सारणी और ग्राफ का प्रयोग, Menstruation-मेन्सुरेशन, Arithmetical computations and other analytical functions-अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, Miscellaneous-विविध।

ख-मानसिक योग्यता परीक्षा-Logical Diagrams-तार्किक आरेख,Symbol-Relationship Interpretation-संकेत-सम्बन्ध विश्लेषण, Perception Test-प्रत्यक्ष ज्ञान बोध,Word formation Test-शब्द रचना परीक्षण, Letter and number series-अक्षर और संख्या श्रृंखला,Word and alphabet Analogy-शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, Common Sense Test-व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, Direction Sense Test-दिशा ज्ञान परीक्षण, Logical interpretation of data-आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, Forcefulness of argument-प्रभावी तर्क, Determining implied meanings-अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना।

4-मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा

क-मानसिक अभिरूचि परीक्षा-Attitude towards the following-निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोणः- Public Interest-जनहित, Law and order-कानून एवं शांति व्यवस्था, Communal harmony-साम्प्रदायिक सद्भाव, Crime Control-अपराध नियंत्रण, Rule of law-विधि का शासन, Ability of Adaptability-अनुकूलन की क्षमता, Professional Information (Basic level)-व्यावसायिक सूचना (बेसिक स्तर की), Police System-पुलिस प्रणाली, Contemporary Police Issues & Law and order-समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, Interest in Profession-व्यवसाय के प्रति रूचि, Mental toughness-मानसिक दृढ़ता,Sensitivity towards minorities and underprivileged-अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, Gender sensitivity-लैंगिक संवेदनशीलता।

ख-बुद्धिलब्धि परीक्षा-Relationship and Analogy Test-सम्बन्ध व आंशिक समानता परीक्षण,Spotting out the dissimilar-असमान को चिन्हित करना,Series Completion Test-श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, Coding and Decoding Test-संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, Direction Sense Test-दिशा ज्ञान परीक्षण, Blood Relation-रक्त सम्बन्ध, Problem based on alphabet-वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, Time sequence Test-समय-क्रम परीक्षण, Venn Diagram and chart type test-वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, Mathematical ability Test-गणितीय योग्यता परीक्षण, Arranging in order-क्रम में व्यवस्थित करना।

ग-तार्किक परीक्षा- Analogies-समरूपता, Similarities-समानता, Differences-भिन्नता, Space visualization-खाली स्थान भरना, Problem solving-समस्या को सुलझाना, Analysis judgement-विश्लेषण निर्णय, Decision making-निर्णायकक्षमता,Visual memory-दृश्य स्मृतिDiscrimination-विभेदन क्षमता,Observation-पर्यवेक्षण,Relationship-सम्बन्ध,Concepts-अवधारणा,Arithmetical reasoning-अंकगणितीय तर्क,Verbal and figure classification-शब्द और आकृति वर्गीकरण,Arithmetical number series-अंकगणितीय संख्या श्रृंखला,Abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships-अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके सम्बन्धों से सामंजस्य की क्षमता।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..........................सुपुत्र/सुपुत्री/श्री..............................निवासी ग्राम...................तहसील.......................................नगर.........................जिला..................................उत्तर प्रदेश राज्य की..................................पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (**यथासंशोधित**) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (**यथासंशोधित**) की **अनुसूची-दो** (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (**संशोधन**) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय **आठ लाख** रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी......................................तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम............................तहसील............................नगर.............................जिला........................में सामान्यतः रहता है।

स्थान................................

दिनांक...............................

मुहर.................................

हस्ताक्षर..............................

पूरा नाम.............................

पदनाम...............................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

प्रारूप-2

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी................................सुपुत्र/सुपुत्री/श्री...निवासी.ग्राम.................तहसील..........................नगर..........................जिला.................................उत्तर प्रदेश राज्य की...................................जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। श्री/श्रीमती/कुमारी......................................तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेशके.......................ग्राम...........................तहसील................नगर............................जिला.........................में सामान्यतया रहता है।

स्थान.................................

दिनांक..............................

मुहर.................................

हस्ताक्षर.............................

पूरा नाम............................

पदनाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी

प्रारूप-3

उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

शासनादेश संख्या-5/2015/18/1/2008-का-2/2015 दिनांक 21अप्रैल, 2015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..निवासी ग्राम..तहसील............................नगर................................जिला ....'उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993' के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित).........................पुत्र/पुत्री/पौत्र(पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)....................................के आश्रित हैं।

स्थान..

दिनांक......................................

हस्ताक्षर......................................

पूरा नाम....................................

पद नाम......................................

मुहर..

जिलाधिकारी(सील)

प्रारूप-4

राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाये जहां अभ्यर्थी कार्यरत है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.............................राज्य सरकार के कर्मचारी है जो वेतनमान.................................में........................ के पद पर.....................................विभाग/ कार्यालय में दिनांक......................से नियमित आधार पर सेवारत हैं।

स्थान......................................

दिनांक......................................

हस्ताक्षर......................................

(कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)

नाम....................................

पद नाम.....................................

मुहर.............................

प्रारूप-5

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी ....ग्राम/कस्बा ....पोस्ट ऑफिस...थाना...ब्लाक.............................. ....तहसील...जिला...राज्य ....ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं...जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू0 .... (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोडने के पश्चात भी मैं (नाम) ....आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती है।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोडने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है:-

I. 05 (पाँच) एकड कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फलैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिका का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम

स्थान :-..................................

दिनांक :-................................

प्रारूप-6

(प्रपत्र- 1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम...

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण- पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या- .... दिनांक-.......................................

वित्तीय वर्ष..........................के लिये मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री/पत्नी ....ग्राम/कस्बा ....पोस्ट ऑफिस..थाना..तहसील............................ ....जिला..राज्य..................................पिन कोड........................ के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष................. में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

I. 05 (पॉच) एकड कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फलैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिका का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ....जाति.................................के सदस्य है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साईज. का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर.................(कार्यालय का मुहर सहित)
पूरा नाम.............................
पदनाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट
/तहसीलदार।